न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2017 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रवणसिंह पिता भूरसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सोहनसिंह पिता कूपसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. उमरावसिंह पिता लालसिंह जी रावत, निवासी खोडमाल, तहसील टाटगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री लालसिंह जी रावत, निवासी खोडमाल, तहसील टाटगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सीता देवी पुत्री लालसिंह जी रावत, निवासी खोडमाल, तहसील टाटगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती सुशीला देवी पुत्री लालसिंह जी रावत, निवासी खोडमाल, तहसील टाटगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती मगधु देवी पत्नी भूरसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. भैरूसिंह पिता रामसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. केसरसिंह पिता पीथासिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. बाबुसिंह पिता विरदसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
9. नारासिंह पिता घीसासिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
10. मोहनसिंह पिता घीसासिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

11. विक्रमसिंह पिता घीसासिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

12. श्रीमती केसर देवी पत्नी जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

13. शंकरसिंह पिता पूरणसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

14. नारायणसिंह पिता पूरणसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

15. सोहनसिंह पिता नोलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

16. चतरसिंह पिता नोलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

17. प्रतापसिंह पिता नोलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

18. सैसोसिंह पिता टीलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

19. माधूसिंह पिता टीलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

20. शम्भुसिंह पिता टीलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

21. पूरणसिंह पिता टीलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

22. श्रीमती केसर देवी पत्नी टीलसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

23. श्रीमती रूपी देवी पत्नी हीरसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

24. किशनसिंह पिता पीथासिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

25. लक्ष्मणसिंह पिता हीरासिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

26. वरदसिंह पिता राजुसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

27. लक्ष्मणसिंह पिता राजुसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

28. चैनसिंह पिता राजुसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

29. चमनसिंह पिता रामसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

30. चतरसिंह पिता रामसिंह जी रावत, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी भीम दि0
13.06.2016 प्रकरण संख्या 27/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री डी.सी. चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री ज्ञानेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1 से 4
3. राजकीय अभिभाषक अभिभाषक रेस्पो. सं. 31

———::———

निर्णय **दिनांक 15–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाबरी में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित भूमियां स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण के पिता ने 50 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्टर्ड बयनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से अर्थात 50 वर्षो से भी अधिक समय से वादीगण का उनके पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में खातेदार नरा, शेरा व दूदा का 1/3, 1/3 हिस्सा था, जिसमें से दिनांक 25–11–1966 को दूदा के वंशज दिलीपसिंह पिता बुद्धासिंह एवं कालूसिंह पिता धूलसिंह ने उक्त भूमि वादीगण के पिता

लालसिंह को 500/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पटवारी के पास गये, परन्तु नामान्तरकरण नहीं खोला गया। हाल ही में प्रतिवादीगण ने कहा कि यह भूमि हमारी है एवं जबरन कब्जा करना चाहा। अतएवं मूलवाद के निर्णय तक विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमियों का किसी प्रकार का कोई बयनामा नहीं करें तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नहीं करें।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 12, 15 व 26 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र झूठा है तथा प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 07–04–2016 को प्रस्तुत होने पर दिनांक 28–04–2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये तथा दिनांक 13–06–2016 की पेशी दी गयी। दिनांक 13–06–2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर प्रकरण में वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 12 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10–02–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में विपक्षी संख्या 1, 12, 15 व 26 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बाद उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें यह कहा गया कि प्रकरण में अन्य विपक्षीगण के जवाब प्रस्तुत होने के बाद बहस होगी। अपीलान्टगण मूलवाद में पेशी पर आ रहे थे और मूलवाद की पेशी को ही अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण की पेशी समझते रहे, परन्तु प्रकरण में कभी बहस नहीं हुई तो अपीलान्टगण यही समझते रहे कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अभी कोई आदेश नहीं हुआ है, परन्तु दिनांक 09–01–2017 को अपीलार्थी श्रवणसिंह ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्हें उक्त आदेश की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का पर्याप्त एवं उचित कारण है। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री ज्ञानेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 30 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 31 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की बिना सहमति हुए बिना प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा तथा बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया है, जबकि पक्षकारों के मध्य विवाद विद्यमान था।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने पर आगामी पेशी पर कतिपय अर्थात 30 में से सिर्फ 4 विपक्षीगण का ही जवाब प्रस्तुत हुआ है वह भी खण्डन का, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य विपक्षीगणों की तामिल हुए बिना, उन्हें सूचना दिये बिना तथा अपीलान्टगण को भी सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण बिना सहमति के लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन

नहीं किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय, स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–06–2016 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तथा विपक्षीगण जबाब प्रस्तुत करना चाहें तो लिया जाकर उभयपक्षों द्वारा पेश की जाने वाली साक्ष्य सबूतों का विवेचन कर तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर विवेचन कर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–05–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर